60

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 284–दो/2006 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 10–1–2006– पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 567/2004–05 अपील

1– लक्ष्मण दास 2– बसंतलाल 3– रामलाल
4– पारसनाथ 5– डिगनलाल पुत्रगण पुरूषोत्तम
6– संगीता देवी पत्नि मोहनलाल
7– धर्मदास 8– मुरारीलाल पुत्रगण पुरूषोत्तमदास
9– महिला चंपादेवी पत्नि पुरूषोत्तम दास सभी ग्राम
अमहा बासुदेव तहसील हनुमना जिला रीवा ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामसागर पुत्र लखनलाल केशरवानी
2– महिला गुलबी पत्नि स्व.लखनलाल केशरवानी
3– मिठाईलाल 4– रामबाबू 5– भरतलाल
पुत्रगण जयरामदास केशरवानी
6– संतोष देवी 7– कला देवी 8– नगीनादेवी
9– मीनादेवी सभी पुत्रियां जयरामदास केशरवानी
10– महिला मुन्नी देवी पत्नि स्व.सोसनलाल
11– कृष्णविहारी पुत्र सोसनलाल
12– वाकी देवी 13– अमीतादेवी
14– नन्हकी देवी 15– कबूतरी देवी
16– छोटकी देवी सभी पुत्रियां सोसनलाल
17– शिवम् अवयस्क पुत्र स्व. सोसनलाल
संरक्षक मुन्नीदेवी पत्नि स्व.सोसनलाल
सभी ग्राम अमहा वासुदेव तहसील हनुमना जिला रीवा ——आवेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा एंव श्री आई.पी.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 10-07- 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 567/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-1-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बसंतलाल, रामलाल आदि की ओर से तहसीलदार हनुमना के समक्ष व्यवहार वाद क्रमांक 769/1/1991 में पारित आदेश दिनांक 16-10-01 एंव डिक्री दिनांक 16-10-01 प्रस्तुत कर मांग रखी कि माननीय व्यवहार न्यायालय से हुये आदेश के अनुसार अमल कर कब्जा दिलाया जावे। तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 155 अ-74/2001-02 पॅजीबद्व किया एंव राजस्व निरीक्षक/ हलका पटवारी को मौके पर भेजकर मान. व्यवहार न्यायालय की डिक्री अनुसार हिस्सा 1/3 पर कब्जा दिलाते हुये पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 5-3-2004 पारित किया तथा अभिलेख अमल के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध रामसागर आदि ने अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण क्रमांक 72 अ-74/03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2005 से तहसीलदार हनुमना का आदेश दिनांक 5-3-04 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रथमतः आपत्ति का निराकरण किया जाय। तदुपरांत माननीय दीवानी न्यायालय के आदेश का पालन किया जाय। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 567/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-1-2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 3-8-2005 एंव प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो एंव पारित आदेश दिनांक 10-1-06 के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश दिनांक 3-8-05 प्रत्यावर्तन आदेश है, ऐसे आदेश के विरूद्व अपील सुनवाई योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा व्दारा व्दारा पारित आदेश दिनांक 10-1-06 विधि की मंशा के अनुरूप न होने से शून्यवत् है।

4/ अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 567/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-1-2006 शून्यवत् रहने से अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का प्रकरण कमांक 72 अ-74/03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2005 फिर भी यथावत् रहेगा, जिसमें निम्नानुसार प्रत्यावर्तन निर्देश हैं :-

- अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम आपत्ति का निराकरण करें। निराकरण करते समय माननीय दीवानी न्यायालय के आदेश का पालन किया जाय, यह ध्यान रहे। उभय पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई कर डिक्री के आधार पर कार्यवाही करें। *

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 3-8-05 में तहसीलदार को माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश/डिक्री के पालन के निर्देश दिये हैं। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3-8-05 के कम में तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस होने पर उभय पक्ष को अपना अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मउगंज व्दारा प्रकरण कमांक 72 अ - 74/ 03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2005

हस्तक्षेप योग्य नहीं है किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा व्दारा अपील अग्राह्य एंव सुनवाई योग्य न होते हुये भी आदेश दिनांक 10-1-06 से गुणदोष पर निराकृत की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश विधि की मंशा के अनुरूप न होने से शून्यवत् है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर